

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक: एफ.40() सहा./मानसून/बाढ़/2024/ 3399

दिनांक: 05.08.2024

आदेश

मौसम विभाग तथा अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय प्रबंधन एवं राजस्थान जयपुर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा टोंक जिले में अत्यधिक भारी बारिश एवं बाढ़ जैसे हालात को देखते हुये अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट/चेतावनी के आधार पर जिले में दिनांक 06.08.2024 को अत्यधिक भारी बारिश एवं बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बाढ़ प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अतिआवश्यक है।

मैं डॉ. सौम्या झा, जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण टोंक, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए टोंक जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु दिनांक 06.08.2024 का अवकाश घोषित करती हूँ। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिये लागू होगा। शेष स्टाफ यथावत कार्य करेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान निर्धारित समय के पश्चात विद्यालय संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,
टोंक

क्रमांक: एफ.40() सहा./मानसून/बाढ़/2024/ 3400-06

दिनांक: 05.08.2024

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी, टोंक
2. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक, टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. पीईईओ/यूसीईईओ.....।
4. समस्त संस्था प्रधान राजकीय/निजी को पालनार्थ।
5. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, टोंक।
6. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
9570107

